करने के लिए उन्होंने 10,000/— रूपए की मांग की थी। उन्होंने यह भी धमकी दी थी कि यदि पैसा नहीं दिया गया तो वह संस्था की रिपोर्ट खराब कर देंगे।

(ii) ऊषा बाल सेवा सदन की शिकायत यह थी कि श्री पवन चोपड़ा ने रिश्वत के रूप में 8,000/— रूपए मांगे थे। जबकि संस्था का कार्य संतोषजनक था। संस्था की यह भी इच्छा थी कि कल्याण अधिकारी श्री पवन चोपड़ा को निलम्बित कर दिया जाए।

(iii) राजगढ़ आदर्श शिक्षा समिति ने यह शिकायत की थी कि संस्था ने पोषाहार कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था परन्तु राज्य बोर्ड द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया। यह शिकायत की गई कि यदि संस्था श्री पवन चोपड़ा को कमीशन की 20 प्रतिशत राशि दे देती है तो वह 50,000/— रुपए के अनुदान के लिए उनके केस की सिफारिश करेगा।

(ग) और (घ) शिव दुर्गा मंदिर और ऊषा बाल सेवा सदन से शिकायते प्राप्त होने पर केन्द्रीय बोर्ड ने 7-11-86 को दिल्ली राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिखा कि शिकायतो की जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। अध्यक्ष, दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड ने इन शिकायतों की जांच की और अपने 3-12-86 के पत्र द्वारा केन्द्रीय बोर्ड को सूचित किया कि लगाए गये आरोप निराधार हैं और श्री पवन चपड़ा के विरूद्ध शिकायतों मे कोई दम नहीं है। ऊषा बाल सेवा सदन और शिव दुर्गा मंदिर के सचिव ने झूठे आरोप लगाए जाने के सबंध में लिखित रूप से क्षमा मांगी और आरोप वासिप ले लिए।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने राजगढ़ आदर्श शिक्षा समिति से प्राप्त शिकायत की एक प्रति दिल्ली राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष को उनकी टिप्पणी के लिए भेजी थी। राज्य बोर्ड ने अपने 11-1-89 की रिपोर्ट में बताया है कि संस्था ने 1987-88 और 1988-89 में अनुदान के लिए कोई आवेदन नहीं दिया था। संस्था ने 1986-87 के लिए पोषाहार कार्यक्रम हेतु आवेदन दिया था परन्तु अनुदान स्वीकृत करने के लिए उस पर विचार नहीं किया गया क्योंकि उनका आवेदन बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों और प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं था संस्था के सचिव, अध्यक्ष श्रीमती मीना स्वामिनाथन से कभी नहीं मिले और न ही उन्होंने उनके ध्यान में कोई समस्या लाई। अतः अध्यक्ष महोदया के साथ उनकी बैठक के संबंध में उनका बयान मनघढ़ंत है।

चूंकि श्री पवन चोपड़ा के विरूद्ध शिकायतें निराधार साबित हुई इसलिए उनके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया।

रोजगार के लिए एक विधवा का अभ्यावेदन

1411. **श्री सुनील कुमार पट्टनायकः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के लेखा अधिकारी स्वर्गीय श्री विजय नारायण कक्कड़ की विधवा, श्रीमती कुसुम कक्कड़ ने रोजगार के लिये सम्बद्ध विभाग को अनेक अभ्यावेदन दिये हैं लेकिन उन्हें कोई रोजगार नहीं दिया गया है, हालांकि वह कल्याण अधिकारी के पद के लिए योग्यता रखती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं और क्या सरकार उक्त विधवा महिला को रोजगार देने का विचार रखती है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा): (क) और (ख) दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के लेखापाल स्वर्गीय श्री विजय नारायण कक्कड़ की विधवा श्रीमती कुसुम कक्कड़ का कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए एक आवेदन पत्र 23.9.87 को दिल्ली राज्य बोर्ड में तथा दूसरा 16.11.88 को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड में प्राप्त हुआ था।

ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनका सेवा अवधि के दौरान निधन हो जाता है (इसमें आत्म-हत्या द्वारा मृत्यु भी शामिल है) और अपने पीछे ऐसा परिवार छोड़ जाते हैं जिसे तुरन्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है और परिवार मे कोई कमाने वाला नहीं होता तो ऐसी स्थिति में मृतक के एक पत्न / पुत्री / नजदीकी रिश्तेदार को अनुकम्पा के आधार पर ग्रुप "ग" अथवा "घ" पद पर नियुक्त किया जा सकता है। श्रीमती कुसुम कछड़ पहले ही दिल्ली में स्थायी अध्यापिका हैं। अतः उन्हें अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में लघु और मध्यम पत्तनों की योजनाए-/कार्यक्रम

1412. **श्री मीर्जा इर्शादबेग:** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु और मध्यम पत्तनों के विकासार्थ गुजरात सरकार की पूर्ववर्ती और नवीनतम मांगे क्या हैं और उन पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रकार का निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) गुजरात सरकार ने अगस्त, 1984 में सातवीं पंचवर्षीय योजना में पीपावव, हजीरा, वेरावल, ओखा और बेदी पत्तनों के विकास के लिए 6524.00 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता देने का अनुरोध किया था। बाद मे फरवरी, 1988 में राज्य सरकार ने यह अनुरोध किया कि चूंकि देश में सिर्फ दो लघु पत्तनों को ही केन्द्रीय सहायता दी जानी है, इसलिए गुजरात में बेदी (जामनगर) को ऐसी सहायता के लिए चुना जाएगा।

(ख) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि संसाधनों की कमी के कारण सातवीं योजना मे देश में सिर्फ दो लघु पत्तनों को हैंडल किए गए ट्रैफिक के आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए चुना गया है और केन्द्रीय सरकार, गुजरात सरकार के अनुरोध को मानने मे असमर्थ है।

Advance increments to lecturers of Delhi University

1413. SHRIMATI SUDHA VIJAY JOSHI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether a decision was taken by Government or University Grants Commission to grant some advance increments to Lecturers, who hold Ph.D. or M.Phil. degrees;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether the said decision has been implemented by the Delhi University;

(d) if not, what are the reasons for the delay in implementation the same; and

(e) by when the said decision is likely to be implemented?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI L.P. SHAHI): (a) and (b) The scheme of revision of pay scales of teachers in Universities and Colleges circulated *vide* this Department's letter dated 22.7.88 provides, *inter alia*, that in order to encourage research in continuation of Post-Graduate studies, candidates who at the time of recruitment as Lecturers possess Ph.D. or M.Phil. degrees will be sanctioned three and one advance increments respectively in the scale of Rs. 2200-4000.

(c) to (e) The University of Delhi is working out the modalities for grant of advance increments and proposes to implement the decision as soon as the modalities are finalised.

Frequency of Route No. 16 of D.T.C.

1414. SHRIMATI SUDHA VIJAY JOSHI : Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) what is the frequency of the Route No. 16 of Delhi Transport Corporation